भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2344

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक आयात में वृद्धि

2344. सुश्री सयानी घोष:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान यूरिया आयात में दोगुनी वृद्धि और डीएपी तथा मिश्रित उर्वरकों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ उर्वरक आयात में तीव्र वृद्धि हुई है और यदि हां, तो 2022-23 से वर्षवार उर्वरक आयात की मात्रा और मूल्य दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2023 तक उर्वरक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के घोषित लक्ष्य के बावजूद घरेलू यूरिया उत्पादन में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान, यूरिया, डीएपी तथा मिश्रित उर्वरकों के घरेलू उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में हाल के फसल मौसमों के दौरान उर्वरकों की कमी की सूचना मिली थी, जिससे किसानों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा या उन्हें काला बाजारों में बढ़ी हुई कीमतों पर उर्वरक खरीदना पड़ा था और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) बार-बार होने वाली कमी के बावजूद मांग पूर्वानुमान, आपूर्ति नियोजन और घरेलू क्षमता वृद्धि में कमी के कारण क्या हैं; और

(ङ.) क्या सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में तेजी से हुई वृद्धि का कोई आकलन किया है, जो हाल के वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजकोषीय संवहनीयता पर इसके प्रभाव क्या हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2022-23 से 2025-26 (जनवरी-2026 तक) तक उर्वरकों के वर्ष-वार आयात का विवरण (तालिका 1) तथा ऐसे आयातों पर हुए कुल व्यय का विवरण (तालिका 2) निम्नानुसार है:-

तालिका 1

वर्ष 2022-23 से 2025-26 (जनवरी-2026 तक) तक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) का आयात				
मात्रा एलएमटी में				
वर्ष	**यूरिया**	**कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार**		
		डीएपी	**एमओपी ***	**एनपीके**
2022-23	75.80	65.83	18.66	27.52
2023-24	70.42	55.67	28.69	22.17
2024-25	56.47	45.69	35.41	22.72
2025-26 (जनवरी-2026 तक)	89.30	60.16	24.81	34.88
एमओपी में कृषि और औद्योगिक दोनों तरह के उपयोग शामिल हैं				

तालिका 2

वित्तीय वर्ष	**सब्सिडी स्कीमों के तहत किया गया व्यय**	
	(आंकड़े करोड़ रु. में)	
	आयातित पीएण्डके	**आयातित यूरिया**
2022-23	36032.56	41365.60
2023-24	28929.57	28193.94
2024-25	18800.00	21000.00
2025-26 (जनवरी-2026 तक)	23975.24	37903.96

(ख): यूरिया के मामले में, सरकार ने 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी) – 2012 की घोषणा की थी और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया था ताकि यूरिया क्षेत्र में नया निवेश हो सके और भारत यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। एनआईपी - 2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाई लगाई गई हैं, जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के ज़रिए लगाई गई 4 यूरिया इकाई और प्राइवेट कंपनियों द्वारा लगाई गई 2 यूरिया इकाई शामिल हैं। जेवीसी के ज़रिए लगाई गई इकाइयों में तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई और उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की क्रमश: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी स्थित 3 यूरिया इकाई शामिल हैं। प्राइवेट कंपनियों द्वारा लगाई गई इकाइयों में पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गडेपन- □□□ यूरिया इकाई शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की स्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां बहुत ज़्यादा ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। इसलिए, इन इकाइयों ने मिलकर 76.2 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जिससे कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए से बढ़कर 2023-24 के दौरान 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, नामित पीएसयू के जेवासी तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के ज़रिए एफसीआईएल की तालचेर

इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक अनन्य नीति को भी मंज़ूरी दी गई है। इसके तहत कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम की मौजूदा परिसर के अंदर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता वाला एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परिसर बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीएल) के नाम से जाना जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने 25 मई , 2015 को मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति (एनयूपी) – 2015 भी अधिसूचित की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से ज़्यादा बढ़ाना है। एनयूपी - 2015 की वजह से 2014-15 के वार्षिक उत्पादन के मुकाबले यूरिया का उत्पादन 20-25 एलएमटी अधिक हुआ है।

उपर्युक्त उपायों से यूरिया उत्पादन 2014-15 के 225 एलएमटी के वार्षिक स्तर से बढ़कर 2023-24 के दौरान 314.09 एलएमटी के रिकॉर्ड यूरिया उत्पादन तक पहुंच गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 306.67 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ।

देश में 2022-23 से 2025-26 (जनवरी 2026 तक) यूरिया, डीएपी और एनपीके का वर्ष-वार उत्पादन निम्नानुसार है: -

सभी उर्वरकों का वर्ष-वार उत्पादन			
			(आंकड़े एलएमटी में)
वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एनपीके**
2022-23	284.94	43.47	100.4
2023-24	314.09	42.93	101.85
2024-25	306.67	37.69	121.05
2025-26 (जनवरी 2026 तक)	251.26	33.71	111.22
स्रोत: □□□□□□□.□□□.□□			

(ग) से (ङ): प्रत्येक फसल का मौसम शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके, राज्य-वार और माह-वार उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाता है। डीएएंएफडब्ल्यू द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग माह–वार आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। तथापि, राज्य के अंदर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार करती है।

इसके अनुसार, 2022-23 से 2025-26 के दौरान पूरे देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री का विवरण **अनुलग्नक-I से IV** में दिया गया है।

इसके अलावा, जमाखोरी, विपथन और कालाबाजारी की समस्याओं से निपटने के लिए, उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, इन कदाचारों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। उर्वरक विभाग के स्तर पर इन कदाचारों के बारे में मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है।

फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएण्डके) उर्वरकों में, सरकार ने 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएण्डके उर्वरक नियंत्रणमुक्त किए गए हैं और ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत आते हैं।

एनबीएस स्कीम के तहत, कंपनियां अपने व्यवसाय के उतार-चढ़ाव के अनुसार पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन/आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह, कंपनियां बाजार की दशाओं के अनुसार अपनी उत्पादन क्षमता में संशोधन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

तथापि, घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ये उपाय किए हैं:

(▯) उर्वरक विभाग ने एमआरपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 18.01.2024 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(▯▯) अनुरोधों के आधार पर, नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को एनबीएस स्कीम के तहत मान्यता दी गई है / रिकॉर्ड पर लिया गया है।

(▯▯▯) एनबीएस स्कीम के अंतर्गत शामिल पीएंडके उर्वरकों की संख्या 2021 की 22 ग्रेड से बढ़कर अब 28 ग्रेड हो गई है।

(▯▯) एसएसपी, जो एक स्वदेश निर्मित उर्वरक है, पर मालभाड़ा सब्सिडी को खरीफ, 2022 से मंज़ूरी दी गई है ताकि मिट्टी को फॉस्फेटिक या 'पी' पोषकतत्व देने के लिए एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

(▯) आयातित पोटाशिक उर्वरकों पर आयात निर्भरता कम करने के लिए, शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), जो एक घरेलू रूप से उत्पादित किया जाने वाला पोटाशिक उर्वरक है, को रबी, 2021 से एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।

यूरिया, यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत आता है और फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएण्डके) उर्वरक, पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत आते हैं। दोनों स्कीम रसायन और उर्वरक मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं, और इन्हें पूरी तरह से भारत सरकार बजटीय सहायता से वित्तपोषित करती है।

सरकार द्वारा वित्तपोषित स्कीमों को केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधन चक्र के साथ सम्बद्ध करने के लिए, यूरिया सब्सिडी स्कीम और एनबीएस स्कीम को वित्त आयोग के साथ-साथ चलने वाली (को-टर्मिनस) स्कीमें बनाया गया है।

****

अनुलग्नक-I

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2344 के उत्तर के भाग (ग) से (ड.) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2025-26 (31.01.26 तक) के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	**राज्य**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	12.98	16.00	14.56	4.53	5.95	5.07	1.39	2.00	1.47	13.88	17.07	13.45
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	2.85	4.05	3.69	0.49	0.91	0.61	0.48	0.58	0.38	0.49	0.47	0.33
5	बिहार	21.12	23.04	21.39	5.80	7.48	5.87	1.90	2.03	1.58	5.85	7.54	5.41
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	9.72	10.11	8.66	4.06	3.92	2.84	1.00	1.18	0.76	2.30	3.38	2.41
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.21	0.18	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02
12	गुजरात	22.32	22.38	20.98	5.80	5.48	4.79	0.99	1.10	0.84	6.75	9.00	7.37
13	हरियाणा	20.07	23.27	21.61	5.43	5.96	5.15	0.48	0.61	0.40	1.37	1.08	0.80
14	हिमाचल प्रदेश	0.62	0.86	0.67	0.02	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.38	0.32	0.23
15	जम्मू और कश्मीर	1.05	1.61	1.24	0.36	0.53	0.34	0.11	0.22	0.13	0.02	0.02	0.02
16	झारखंड	2.60	3.21	2.75	0.80	1.00	0.84	0.07	0.06	0.04	0.59	0.94	0.70
17	कर्नाटक	16.25	18.71	15.71	5.44	6.42	5.14	1.96	2.81	2.14	14.87	24.02	18.85
18	केरल	1.02	1.14	0.99	0.19	0.27	0.19	0.78	0.94	0.77	1.19	1.43	1.16
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	39.92	42.42	40.34	14.50	12.35	10.94	1.30	1.39	1.01	15.50	13.56	10.91
21	महाराष्ट्र	23.62	27.67	23.80	6.60	6.69	5.03	2.25	3.09	2.24	27.12	35.55	26.69
22	मणिपुर	0.17	0.19	0.16	0.02	0.05	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
23	मेघालय	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.33	7.50	6.15	2.47	3.10	2.33	0.75	0.88	0.62	2.90	4.07	3.09
27	पुदुचेरी	0.13	0.13	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.07	0.09	0.07
28	पंजाब	27.92	31.94	28.64	7.15	7.79	6.06	0.90	0.94	0.55	1.90	1.60	1.23
29	राजस्थान	24.43	28.37	26.81	8.33	8.31	7.57	0.18	0.22	0.16	2.92	3.07	2.50
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	9.28	11.03	9.78	2.65	3.17	2.53	2.16	2.22	1.74	8.07	9.44	7.55
32	तेलंगाना	17.00	17.94	16.85	3.55	4.58	4.11	1.00	1.26	0.72	14.75	16.38	13.37
33	त्रिपुरा	0.13	0.20	0.13	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.02	0.04	0.04	0.02
34	उत्तराखंड	1.73	2.15	1.99	0.25	0.60	0.42	0.06	0.09	0.04	0.31	0.20	0.16
35	उत्तर प्रदेश	72.92	80.96	73.63	23.50	23.27	18.52	2.43	2.59	1.76	12.00	13.49	9.50
36	पश्चिम बंगाल	11.83	14.80	11.60	3.09	3.88	2.85	2.65	2.57	1.83	9.70	13.06	9.21
	अखिल भारत	**345.38**	**390.06**	**352.61**	**105.16**	**111.89**	**91.36**	**22.98**	**26.90**	**19.27**	**143.03**	**175.87**	**135.10**

अनुलग्नक-II

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2344 के उत्तर के भाग (ग) से (ड.) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01
16	झारखंड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03
34	उत्तराखंड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24
	अखिल भारत	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**111.92**	**105.14**	**96.29**	**22.21**	**30.85**	**22.02**	**151.29**	**183.98**	**149.72**

अनुलग्नक-III

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2344 के उत्तर के भाग (ग) से (ड.) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	1.84	1.81	1.31	13.28	17.87	14.02
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	0.66	0.69	0.44	0.30	0.39	0.23
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	2.28	1.75	1.39	4.50	6.09	4.39
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	0.66	0.97	0.60	1.07	1.90	1.30
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.02
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	1.30	1.00	0.80	6.00	8.93	6.97
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	0.55	0.50	0.36	1.20	0.64	0.44
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	0.37	0.39	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	0.32	0.24	0.16	0.03	0.00	0.00
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	0.21	0.03	0.03	0.41	0.46	0.33
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	2.45	1.97	1.54	16.50	21.09	15.84
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	0.87	1.05	0.67	5.40	6.99	5.41
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	3.00	2.18	1.42	26.50	34.08	23.04
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.07
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	2.45	2.05	1.63	7.30	10.19	7.94
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	2.00	1.18	0.92	15.99	17.09	13.62
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	0.08	0.08	0.04	0.35	0.24	0.20
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	2.35	1.62	1.21	9.50	10.13	7.93
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	3.35	2.85	1.83	10.65	12.74	9.20
	अखिल भारत	**356.08**	**437.47**	**357.81**	**110.18**	**127.42**	**109.73**	**27.62**	**22.74**	**16.45**	**126.31**	**156.51**	**116.80**

अनुलग्नक-IV

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2344 के उत्तर के भाग (ग) से (ड.) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	16.65	18.39	15.87	4.20	5.43	4.64	3.09	1.42	1.18	15.97	16.27	13.73
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.07	3.56	0.85	0.83	0.63	0.75	0.58	0.47	0.26	0.22	0.19
5	बिहार	22.80	24.68	21.96	6.82	7.15	5.66	2.16	1.55	1.26	3.72	5.35	4.25
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.74	10.57	8.38	3.70	4.68	3.14	1.01	0.77	0.56	1.45	1.63	1.06
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.32	0.28	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	27.30	24.73	5.50	7.48	6.10	1.15	0.91	0.81	5.85	7.08	5.23
13	हरियाणा	21.50	23.68	20.46	5.70	6.48	5.59	0.60	0.43	0.35	0.70	0.30	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.76	0.85	0.74	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.04	0.39	0.41	0.35
15	जम्मू और कश्मीर	1.68	1.93	1.60	0.59	0.60	0.48	0.40	0.23	0.17	0.04	0.00	0.00
16	झारखंड	2.60	3.04	2.56	1.00	0.89	0.77	0.20	0.05	0.04	0.46	0.52	0.45
17	कर्नाटक	17.20	22.22	18.21	5.90	8.44	6.21	3.00	1.68	1.41	17.16	21.53	16.67
18	केरल	1.23	1.32	1.12	0.20	0.22	0.19	1.07	0.86	0.78	1.42	1.32	1.02
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.00	36.94	32.39	18.50	17.61	13.85	1.57	0.76	0.62	4.85	6.25	4.79
21	महाराष्ट्र	25.29	30.39	24.66	8.20	9.34	7.18	4.30	1.68	1.38	23.50	28.89	20.46
22	मणिपुर	0.22	0.35	0.31	0.12	0.04	0.04	0.12	0.05	0.04	0.00	0.03	0.03
23	मेघालय	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.11	0.10	0.06	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.84	7.08	5.60	2.69	2.55	1.94	1.35	0.84	0.61	3.05	3.26	2.63
27	पुदुचेरी	0.15	0.18	0.17	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.09	0.06
28	पंजाब	29.25	34.90	29.45	7.25	8.46	7.17	0.90	0.49	0.41	1.70	0.71	0.58
29	राजस्थान	21.50	27.91	25.17	7.40	9.70	8.47	0.30	0.18	0.14	0.95	0.85	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	9.96	11.38	10.05	2.73	3.49	2.76	2.53	1.85	1.65	6.45	9.19	7.38
32	तेलंगाना	18.39	21.63	18.83	3.55	4.70	3.71	2.27	0.86	0.74	15.16	16.24	12.90
33	त्रिपुरा	0.27	0.28	0.19	0.05	0.02	0.02	0.09	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	2.20	2.38	2.05	0.35	0.64	0.52	0.09	0.07	0.03	0.35	0.15	0.11
35	उत्तर प्रदेश	77.50	87.39	74.72	24.70	27.69	22.38	3.36	1.42	1.22	7.00	6.64	4.79
36	पश्चिम बंगाल	14.25	16.49	14.05	4.05	4.36	3.77	3.70	2.70	2.36	10.12	11.16	9.61
	अखिल भारत	**359.19**	**415.82**	**357.26**	**114.20**	**130.93**	**105.31**	**34.17**	**19.55**	**16.32**	**120.69**	**138.15**	**107.31**